न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

क्रमांक/सारिश्ता/प्रा०पत्र 255/2021 दिनांक 14/12/2021

आदेश

प्रार्थी श्री शंकरलाल जीनगर पिता मुलचन्द जीनगर निवासी 2 ख 67 शांतिनगर, होटल मिनाक्षी के पास हिरणमगरी से.नं. 5 मनवाखेड़ा (ग्रामीण) उदयपुर द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत ग्रा०प० मुख्यालय सोनगर पर आयोजित शिविर मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पिपलियाखुर्द प० ह० सोनगर मे प्रार्थी के पिता की कृषि भूमि स्थित है, जिसके खाता संख्या 116 है, जिसमे पिता का नाम मुलचन्द जीनगर के बजाय मुलचन्द बलाई अंकित किया हुआ है, जबकि प्रार्थी के पिता का सही वास्तविक नाम मुलचन्द जीनगर है। प्रार्थी के पिता मुलचन्द जीनगर का दिनांक 31/12/1977 को तथा माता श्रीमति मधरीबाई का दिनांक 18/11/1994 को स्वर्गवास हो गया है। मुलचन्द जीनगर के जीवित वारिसान श्रीमति कालीबाई पत्नि रामलाल निवासी अंगरोप, श्रीमति तुलसीबाई पत्नि ऊंकारलाल निवासी फतहनगर तहसील मावली एवं प्रार्थी शंकरलाल पिता मुलचन्द जीनगर है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रेकार्ड मे मेरे पिता मुलचन्द बलाई के स्थान पर मुलचन्द जीनगर अंकित करवाया जाकर मुझ पिता के वारिसानों का पारिवारिक सजरे अनुसार इंतकाल खोला जावे तथा जमाबन्दी मे वारिसानों के नाम इंतकाल दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

तहसीलदार बस्सी ने अपनी [illegible] की वर्तमान चालू जमाबन्दी सम्वत् [illegible] 116 मे आ.नं. 257 रकबा 1.08 हे. [illegible] मुलचन्द पिता धीसा बलाई स्था. बस्सी गैरखातेदार दर्ज है। वर्तमान आराजी नम्बर 257

....लगातार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.12.14 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 1.08 हे०, गत सेटलमेन्ट के आ०नं० 61/15 रकबा 5 बीघा से बने है। गत सेटलमेन्ट के ना०सं० 66 से राजकीय भूमि आराजी नम्बर 61/1 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा मे से आ०नं० 61/15 रकबा 5 बीघा भूमि मूलचन्द पिता धीसा जीनगर सा० बस्सी गैरखातेदार के नाम नामान्तरण स्वीकृत हुआ, जिसका गत सेटलमेन्ट की जमाबन्दी सम्वत 2025 – 2028 की खाता संख्या 1 मे अमल हो रखा है। आधार वर्ष की जमाबन्दी सम्वत 2038 की खाता संख्या 84 मे आ०नं० 257 रकबा 1.08 हे० मूलचन्द पिता धीसा बलाई सा० बस्सी गैर खातेदार दर्ज है, जो वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2067-2072 की खाता संख्या 116 मे चला आना अंकित कर, दौरान वक्त सेटलमेन्ट मूलचन्द पिता धीसा जीनगर के बजाय मूलचन्द पिता धीसा बलाई दर्ज हो जाने से जाति बलाई की बजाय जीनगर दर्ज किया जाना उचित बताया है।

अतः धारा 136 एल.आर.एक्ट. के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम बिवालियाखुर्द प०ह० सोजगार के खाता संख्या 116 मे मूलचन्द पिता धीसा 'बलाई' के स्थान पर मूलचन्द पिता धीसा 'जीनगर' अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। मूलचन्द के फौत हो जाने से मृतक के वारिसान के नाम नामान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही तहसीलदार बस्सी बाद जांच नियमानुसार करे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बस्सी को प्रेषित की जावे।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

ता०ति० 277
14/12/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.12.14 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested